न्यायालय – न्यायाधीश विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम,2005 प्रतापगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी : पी.एस.चौहान
R.H.J.S.

सेशन प्रकरण संख्या : 02/2018

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ठ लोक अभियोजक,
प्रतापगढ़–राजस्थान

–::बनाम::–

1–अनिल पुत्र बंशीलाल जाति शर्मा
निवासी गंधेर थाना प्रतापगढ
जिला प्रतापगढ़ (राज0)

––– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 354(क) भा.द.सं. सपठित धारा 4–6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 341,326 भा.द.सं.

उपस्थित::–

1– श्री तरूणदास बैरागी, विशिश्ठ लोक अभियोजक।
2– सुश्री विजय लक्ष्मी आर्य, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

–:: नि र्ण य ::– दिनांकः– 11/01/2019

1. हस्तगत प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354(क) 341,326 व धारा 4–6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ,2012 की विभिन्न धाराओं से संबंधित होने के कारण अभियोक्त्री बालिका के सम्मान की सुरक्षा के कारणों से इस निर्णय में अभियोक्त्री को मात्र ''पीडिता'' शब्द से सम्बोधित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक–22/05/13 को परिवादिया / ''पीडिता'' पी0ड01 ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी01 थानाधिकारी, पुलिस थाना प्रतापगढ में इस आशय की प्रस्तुत की कि प्रार्थीया की बडी बहिन ममता की शादी गांव रजोरा तहसील प्रतापगढ में करा रखी है। वह उसकी बहिन से मिलने के लिए आई थी और यहाँ से बहिन के मामा ससुर समरथजी के लडके की शादी होने से गंधेर गई थी। शादी का कार्यक्रम चल रहा था। घर के आगे ही बिन्दोली चल रही थी ,उस वक्त अनिल पिता बंशीलाल शर्मा निवासी गंधेर ने उसे दो–तीन बार अश्लील इशारे किये ,जिसका उसने कोई जवाब नही दिया और ना ही वह

उसके बुलाने पर गई और पूरी बात उसने अपनी बहिन ममता को बताई तो उसने कहा कि कार्यक्रम के बाद उसे समझा देगें। अनिल भी बिन्दोली मे नाच रहा था । मौका देखकर वह अन्दर जाकर चाकू लेकर पीछे से आया और उसका हाथ पकड लिया ,उसने हाथ छुडा लिया तो दूसरी बार उसने हाथ पकड कर अन्दर ले जाने लगा और कहा कि अन्दर चल और नहीं जाने पर वार करने लगा, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन बेण्ड बाजा की आवाज में किसी ने नहीं सुना तो अनिल ने वार कर दिया और गले की बजाय नाक पर चाकू से वार हो गया , जिससे उसके गम्भीर चोट आई। बहिन ममता ने छुडाया और अनिल को पकडने लगी तो हाथ छुडाकर भाग गया । मौके पर उपस्थित नटवरलाल , भरत व ईश्वरलाल ने पीछा किया, लेकिन वह भाग गया। फिर उसे ईलाज के लिए प्रतापगढ अस्पताल लेकर आये और उसका ईलाज कराया। दिनांक 20/05/13 को घटना के दिन शादी होने से रिपोर्ट नहीं करा सके।

3– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना प्रतापगढ पर एफ0आई0आर0 संख्या 227/13 धारा 341,323,354 भा0दं0सं0 के अपराधों में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया और अनुसंधान उपरांत अभियुक्त अनिल शर्मा के विरूद्व धारा 354(क) 341,326 व धारा 4–6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ,2012 के अपराध प्रमाणित पाते हुए ,संबंधित थानाधिकारी द्वारा श्रीमान् सेशन न्यायालय प्रतापगढ में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया कालान्तर में यह प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

4– दिनांक–16/05/15 को बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त अनिल को धारा– 354(क) भा.द.सं. सपठित धारा 4–6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 341,326 भा.द.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया तथा अंवीक्षा चाही।

5– आरोपित अपराधों को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0ड01 ''पीडिता'', पी0ड02 भरत,पी0ड03 ओमप्रकाश, पी0ड04 समरथ, पी0ड05 ईश्वर, पीड6 ममता, पीड7 नटवरलाल, पी.ड.08 डा. ओ.पी.दायमा एवं पी.ड.09 ईश्वरसिंह को परीक्षित करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी01 लगायत प्रदर्श पी011 को प्रदर्शित करवाया गया हैं तथा दिनांक–23/03/13 को साक्ष्य अभियेाजन समाप्त की गई ।

6– अभियुक्त के धारा–313 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लेखबद्व किये गये तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्षीगण का एक ही

परिवार से होकर उनके द्वारा गलत बयान देना बताया एवं बचाव में डी0ड01 श्यामलाल को साक्ष्य पेश कर परीक्षित कराया गया।

7– उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान परिशीलन किया गया।

8– न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैंः–

1.'' आया अभियुक्त अनिल ने दिनांक 20/05/13 को दिन में किसी समय मौजा गंधेर में परिवादिया/ पीडिता की बहिन ममता के मामा ससुर दशरथ के लडके की शादी की बिन्दोली के दौरान नाबालिग परिवादिया/ पीडिता का सदोष अवरोध कर उसे अश्लील इशारे करते हुए अयुक्त सम्भोग के लिए विवश करने के आशय से धारदार हथियार चाकू लेकर परिवादिया का हाथ पकड कर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए उसे घर के अन्दर ले जाने का प्रयास करते हुये परिवादिया/पीडिता की नाक पर चाकू का वार कर गम्भीर उपहति कारित करते हुए परिवादिया के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपीकृत किया?''

2.यदि अभियुक्त ने उपरोक्त कृत्य किये तो कौनसा अपराध घटित हुआ तथा उसके लिये दण्ड क्या हो?

9– दौराने बहस विद्वान् विशिष्ठ लोक अभियोजक ने यह तर्क दिया है कि पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अनिल के विरूद्व आरोपित अपराध का आरोप संदेह से परे पूर्ण रूप से साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्व किया जावें।

10– योग्य अधिवक्ता अभियुक्त का बहस में मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि इस मामलें में पूर्व में पीडिता की सगाई अभियुक्त से होने वाली थी , किन्तु परिवादी पक्ष ने अभियुक्त पक्ष से रूपयों की मांग की थी ,वह रूपये नहीं देने के कारण यह मिथ्या मुकद्मा अभियुक्त के विरूद्व दर्ज कराया गया है,इसके अतिरिक्त उनका यह भी तर्क रहा है कि इस मामलें में घटना की रिपोर्ट तीन दिन विलम्ब से दर्ज कराई है,जो साक्षीगण प्रस्तुत हुए है उनके कथनों में भारी विरोधाभास है, किसी स्वतंत्र साक्षी के कथन इस मामलें में लेखबद्व नहीं हुए है । मौके पर शादी का माहौल होकर 300–400 आदमी उपस्थित थे, जिनके समक्ष ऐसी घटना होना संभव नहीं है। पीडिता के कोई चोट के निशान न्यायालय में जाहिर नहीं आये है। पीडिता ने चोट बाबत् मिथ्या कथन किया है । पीडिता का इस मामलें में एक्सरे भी नहीं कराया गया हैएवं पीडिता की आयु के प्रमाणिकरण बाबत् स्कूल का अध्यापक भी पेश नहीं हुआ है। इस मामलें में कथित चाकू जो

जब्त हुआ है,उस पर कोई खून नहीं लगा होना मामलें के अनुसंधान अधिकारी ने बताया है एवं चाकू बरामदगी के गवाह भी उपस्थित नहीं हुए है और न ही इस मामलें में चाकू न्यायालय में पेश हुआ है और न ही इस बाबत् मालखाना इंचार्ज को ही पेश किया है। बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि पीडिता नाचते–नाचते बैण्ड बाजे के उपकरण पर गिर गई थी, जिससे उसके चोट आई है। अधिकांश गवाह परिवादी पक्ष के परिवार व रिश्तेदार होने से झूंठी साक्ष्य देते है। उन्होने अभियुक्त को उस पर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने उक्त तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

1– क्रिमी. लॉ रिपोर्टर,2015(4)
सरकार बनाम राजु पेज 1892

2– क्रिमी. लॉ रिपोर्टर,2015(4)
सरकार बनाम सीताराम पेज 1939

3– क्रिमी. लॉ रिपोर्टर,1992
मनोहरलाल बनाम सरकार पेज 513

4– क्रिमी. लॉ रिपोर्टर,1991
भगवानसिंह व अन्य बनाम सरकार पेज 388

5– क्रिमी. लॉ रिपोर्टर,1991
भंवरसिंह बनाम सरकार पेज 760

6– क्रिमी. लॉ रिपोर्टर,1918(3)
मालूराम व अन्य बनाम सरकार पेज 1312

7– क्रिमी. लॉ रिपोर्टर,2015(3)(राज0)
अनिल कुमार बनाम सरकार पेज 1099

8– क्रिमी. लॉ रिपोर्टर,2017(1)
कैलाश जोगी बनाम सरकार पेज 173

9– क्रिमी. लॉ रिपोर्टर,2009(2)
सुताराम बनाम सरकार पेज 1331

10– क्रिमी. लॉ रिपोर्टर,2003(एस.सी.)
मौसम सिंघा राय बनाम पश्चिम बंगला पेज 887

11– क्रिमी. लॉ रिपोर्टर,(एस.सी.)2009 (1)
सरकार बनाम रामलाल पेज 98

12– क्रिमी. लॉ रिपोर्टर,2017(3)
सरकार बनाम हेमराज माली पेज 1421

11. अभियोजन पक्ष की ओर से मामलें को साबित करने के लिये कुल 09 गवाहों के बयान लेखबद्व कराये गये है। हस्तगत मामलें में मामले की सबसे अहम साक्षीया ''पीडिता'' पी0ड01 ने अपने सशपथ बयानों में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि करीब तीन साल पहले पहले रात करीबन नो बजे दिनांक 20/05/13 को गांव गंधेर की घटना है । वह उसकी बहिन ममता के यहॉ आई हुई थी जो उसके साथ में उसके मामा ससुर की शादी थी वहॉ गये थे। रात को शादी में अनिल नाम के लडके ने उसे गंदे–गंदे इशारे किये व उसे बुलाने की कोशिश की तो उसने यह बात अपनी बहिन को बताई , जिस पर उसकी बहिन ने कहा कि अभी शादी का कार्यक्रम चल रहा है, सुबह समझा देगें । अनिल ने उसे घर के अन्दर ले जाकर गलत हरकत करने की कोशिश की और नाचता–नाचता वह घर के अन्दर गया और चाकू लेकर आया और पीछे से आकर उसका हाथ पकडा और अन्दर ले जाने की कोशिश की तो वह बैठ गई , उसने गले पर चाकू से वार किया जो उसके नाक पर लगा, जिससे उसका पूरा चेहरा खून में हो गया। जिसका निशान अभी भी उसके नाक पर है। अंगुली से ईशारा कर पीडिता ने अपनी चोट का निशान बताया। **देखने से सामान्य तौर पर चोट का निशान आज नजर नहीं आ रहा है।** ममता,भरतलाल, नटवरलाल व ईश्वरलाल ने बीच–बचाव किया। इस साक्षीया ने आगे यह भी कथन किया है कि घटना की रिपोर्ट की जो प्रदर्श पी01 है , चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी02 ,उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी03, मजिस्ट्रेट सा0 के सामने उसके बयान प्रदर्श पी04 व पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी05 बनाना और वक्त घटना वह नवीं कक्षा में पढ रही थी और उसने पुलिस वालों को अपनी मार्कशीट दी थी जिसके अनुसार उसकी जन्म दिनांक 20/03/96 है और वक्त घटना उसकी उम 17 वर्ष थी।

अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में जाहिर किया है कि यह कहना गलत है कि वह बिन्दोली में डांस कर रही हो और डांस करते समय बैण्ड वाले किसी उपकरण से टकरा कर नीचे गिर गई हो, जिससे उसके चोटें आई हो और इस बात को भी गलत बताया है कि उसकी नाक पर चोट का निशान नहीं हो, बल्कि आज भी नाक पर निशान मौजूद है।

12– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के चश्मदीद साक्षी के रूप में ''पीडिता'' का जीजा पी0ड02 ईश्वरलाल को न्यायालय में पेश कर परीक्षित कराया गया है , जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 20/05/13 को रात नो बजे गांव गंधेर की बात है ,उसके मामा के लडके जीतू की शादी

थी ,सभी डांस कर रहे थे, अनिल भी नाच रहा था, जो उसके घर में गया और वहॉ से चाकू लेकर आया और अनिल ''पीडिता'' को गलत ईशारे कर रहा था । फिर ''पीडिता''को कुछ कहते हुए हाथ पकड कर गलत नीयत से उसे अंदर ले जाने लगा तो ''पीडिता'' ने मना किया तो अनिल ने ''पीडिता'' की नाक पर चाकू से वार किया ,जिससे ''पीडिता'' की नाक से खून बहने लगे । मौके पर उसकी पत्नी ममता,ईश्वर व नटवर भी आ गये। ''पीडिता'' उसकी साली लगती है। अनिल ''पीडिता'' के चाकू लगा कर भागने लगा ,जिसे गवाह की पत्नी ने पकडने की कोशिश की तो वह झटका देकर भाग गया। घटना के समय उसकी साली (पीडिता) की उम्र 17 वर्ष थी? चाकू लगने से ''पीडिता''का नाक कट गया और वह कुरूप हो गयी है।

अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह जाहिर किया है कि यह कहना गलत है कि घटना के दो साल पहले ''पीडिता'' की सगाई अनिल के साथ हुई हो। इस बात को भी गलत बताया है कि ''पीडिता'' के भाई व पिताजी यह चाहते हो कि अनिल के पिता दो लाख रूपये दे दें । इस बात को भी गलत बताया है कि वक्त घटना ''पीडिता'' डांस कर रही हो और डांस करते हुए गिर गयी हो और उन्होनें झूंठी रिपोर्ट दर्ज कराई हो।

13– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण की ''पीडिता'' के पिता परिवादी ओमप्रकाश को पी0ड03 के रूप में न्यायालय में पेश कर परीक्षित कराया गया है , जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटनो दो साल पहले की है पीडिता उसकी लडकी है एवं घटना के समय उसकी उम्र 17 वर्ष थी, उसने सुना था कि उसकी लडकी के अनिल ने नाक पर चाकू मारा था। घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी01 है ,चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी02 होना और इन पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना कहा है।

अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह जाहिर किया है कि पीडिता का ईलाज प्रतापगढ व उदयपुर करवाया था। इस बात को गलत बताया है कि उसने व उसके कंवर सा भरत ने अनिल के पिता से दो लाख रूपये मांगे हो और पैसे नहीं मिलने के कारण झूंठा मुकद्मा किया हो।

14– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के नक्शा मौका के साक्षी के रूप में पी0ड04 के रूप में समरथ को न्यायालय में पेश कर परीक्षित कराया गया है,जिसने अपने मुख्य परीक्षण में फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी05 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना कहा है।

अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह जाहिर किया है कि पंचनामा बनाया उस समय ''पीडिता'' वही थी, ''पीडिता'' के हस्ताक्षर कराये या नहीं उसे ध्यान नहीं है।

15– हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से चश्मदीद साक्षी के रूप में पी0ड05 ईश्वरलाल को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है,जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है, परन्तु इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि ''पीडिता'' के नाक पर चीरा लगा था। घटना के समय वह मौके पर था।

अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह जाहिर किया है कि यह कहना गलत है कि ''पीडिता'' के पिता ने अनिल के पिता से दो लाख रूपये मांगे हो और कहा हो कि पैसे दोगे तभी शादी होगी। इस बात को भी गलत बताया है कि अनिल के पिता ने दो लाख रूपये देने से मना कर दिया हो, इसलिये साजिश रचकर यह झूंठा प्रकरण दर्ज कराया हो।

16– हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से चश्मदीद साक्षी के रूप में पीडिता की बडी बहिन पी0ड06 श्रीमति ममता को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है,जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसकी बहिन ''पीडिता'' रजोरा आई हुई थी। गंधेर में समरथ पिता अम्बालाल के यहॉ शादी थी जो उसके मामा ससुर लगते है। वहॉ हम शादी में गये थे । रात के नो बजे बिन्दोली चल रही थी । हाजिर अदालत अभियुक्त अनिल ने पीडिता को गंदे–गंदे इशारे किये। पीडिता ने उसे यह बात बताई थी। इस पर उसने कहा कि रूक जा अभी शादी का माहौल है बाद में बात करेगें। थोडी देर बाद अनिल डांस करने लगा और फिर उसके घर के अन्दर गया और चाकु लेकर आया और पीडिता पर चाकु से वार किया ,जिससे पीडिता की नाक पर लगी और खून आने लगे। अनिल को पकडने की कोशिश की तो वह भाग गया । मौके पर नटवरलाल, ईश्वरलाल व उसका पति भरत आ गये थे ,जिन्होने अनिल को भागते हुए को पकडने की कोशिश की थी।

अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह जाहिर किया है कि समरथ व अनिल के घर पास–पास में है। जहॉ लोग नाच रहे थे उसके पास ही हम खडे थे। यह कहना गलत है कि ''पीडिता'' की सगाई अनिल के साथ हुई हो। सगाई की बात चली थी,लेकिन सगाई नहीं हुई थी। इस बात को भी गलत बताया है कि भरत व गवाह के पिता ने अनिल के पिता से दो लाख रूपये शादी करवाने के लिए मांगे हो और उन्होनें देने से मना कर दिया हो, इसलिये सगाई तोड दी हो और इसी रंजिश से उन्होने यह झूठी रिपोर्ट दर्ज

कराई हो।

17– हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से चश्मदीद साक्षी के रूप में पी0ड07 नटवरलाल को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि समरथ जी के यहां शादी का कार्यक्रम था। शाम को 8–9 बजे बिंदोली की तैयारी चल रही थी। नाचते–नाचते एकदम हाहाकार मच गया ,देखा तो पीडिता के नाक से खून बह रहा था । अनिल पीडिता के नाक पर चाकु लगा कर भागा । पीडिता के नाक से खून निकल रहा था। अभियुक्त अनिल आज हाजिर अदालत है।

अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह जाहिर किया है कि अंदाज से 150–200 लोग थे। बिन्दोली घर के बाहर रोड पर थी। यह कहना गलत है कि उसे बाद में पता चला हो कि पीडिता के लगी है। यह उसे पता नही है कि अनिल की शादी पीडिता के साथ तय हुई हो। यह कहना गलत है कि ''पीडिता'' नाचते–नाचते बैण्ड बाजे पर गिर गई हो और उसके लगी हो। यह उसे पता नहीं है कि पीडिता के पिता ने अनिल के पिता से दो लाख रूपये मांगे हो और अनिल के पिता ने रूपये नहीं दिये इसलिये यह झूठा मुकद्मा कराया हो।

18– पी0ड08 डा0 ओ.पी.दायमा ने सशपथ कथन किया हे कि 22/05/13 को वह जिला चिकित्सालय प्रतापगढ में एम0ओ0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस प्रार्थना पर पीडिता उम्र 17 वर्ष के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी03 तैयार किया था। पीडिता के नाक पर एक चोट आई थी जो कटा हुआ घाव 4.2 गुना 3 से.मी. चमडी से लेकर मांस पेशी तक गहरा, चेहरे की विकृति होने के कारण गंभीर चोट होकर धारदार हथियार से कारित की गई थी। चोट की अवधि दो से तीन दिन के भीतर की थी पुलिस तहरीर प्रदर्श पी07 है ।

अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह जाहिर किया है कि पीडिता की चोट का एक्सरे नहीं कराया था। चेहरे में विकृति आने के कारण उक्त चोट को गम्भीर बताया था। चोट प्राणघातक नहीं थी। परीक्षण के समय पीडिता आराम से सांस ले रही थी। नाक पर लगी होने के कारण उसने चोट को गम्भीर बताया था। उक्त चोट ईलाज से 7–8 दिन में ठीक हो सकती है।

19– प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी पी0ड09ईश्वरसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 22/05/15 को थाना प्रतापगढ पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 227/13 का अनुसंधान उसे प्राप्त हुआ था। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी01, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी02 है जिन

पर ए से बी प्रार्थीया व जी से एच व ई से एफ थानाधिकारी दलपतसिंह के हस्ताक्षर है। पीडिता का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी03 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द प्रदर्श पी05 बनाई , गवाहान के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्व किये । पीडिता के नाबालिग होने से उसका स्कूल प्रमाणपत्र अंकतालिका प्राप्त की जो प्रदर्श पी06 है ,जिस पर ए से बी उसका पृष्ठांकन व सी से डी उसके हस्ताक्षर है । पीडिता के 164 द.प्र.सं. के बयान कराने हेतु न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेश किया जो प्रदर्श पी08 है ,जिस पर ए से बी एसएचओ दलपतसिंह के हस्ताक्षर है। पीडिता के 164 द. प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी04 है। अभियुक्त द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की दी गई सूचना प्रदर्श पी010 है,मुताबिक सूचना चाकु जब्त किया जिसकी फर्द प्रदर्श पी011 है। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त अनिल के विरूद्व धारा 341,323,354(क)326 भा0दं0सं0 व धारा 4/6 लैगिंक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाये जाने से चार्जशीट कता कर चालान न्यायालय में पेश करना कथित किया है।

अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह जाहिर किया है कि प्रदर्श पी06 पीडिता स्वयं ने पेश किया था। यह सही है कि स्कूल का प्रकाणपत्र होने एवं कोई कांट–छांट नहीं होने से उसका सत्यापन नहीं कराया। यह सही है कि गवाहान जो बाहर गांव के शादी में आये थे,उनके बयान लिये थे। यह कहना सही है कि गांव के लोगों के बयान नहीं लिये क्योंकि रंजिश बढ जाने से उन्होनें बयान नहीं दिये। यह कहना गलत है कि प्रदर्श डी01, प्रदर्श डी02 व प्रदर्श डी03 बयान उसने अपनी मर्जी से लिये हो ,बल्कि गवाहान के कथनानुसार लेखबद्व किये थे। बरामदशुदा चाकु पर कोई खून लगा हुआ नहीं था। बरामदगी स्थल खुला हुआ कुएं पर बना कमरा है। धारा 326 भा.दं.सं0. मेडिकल के आधार पर जोडी गई थी। यह सही है कि नाक का कोई भाग अलग नहीं हुआ था,जाहिरा चोट जरूर थी।

20– हस्तगत मामलें में सर्वप्रथम मामलें की पीडिता पी0ड01 की वक्त घटना आयु बाबत् निर्धारण किया जाना है ? इस संबंध में मामलें की पीडिता पी0ड01 ने न्यायालय में हुए अपने कथनों को स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वक्त घटना वह नवीं कक्षा में पढती थी और पुलिस वालों को अपनी अंकतालिका(मार्कशीट) दी थी, जिसके अनुसार उसकी जन्म तिथि 20/03/1996 है एवं आगे इस पीडिता ने यह स्पष्ट कथन किया है कि घटना के वक्त उसकी उम्र 17 वर्ष थी। पीडिता द्वारा पुलिस को दी गई अपनी अंकतालिका(मार्कशीट) अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत कर मामलें के

अनुसंधान अधिकारी पी0ड09 ईश्वरसिंह की साक्ष्य में प्रदर्शित कराई गई है, जो पत्रावली पर विद्यमान है एवं पीडिता की प्रस्तुत एवं प्रदर्शित अंकतालिका (मार्कशीट) प्रदर्श पी06 में स्पष्ट रूप से पीडिता की जन्म तिथि स्पष्ट रूप से 20 / 03 / 1996 उल्लेखित की गई है एवं इस संबंध में मामलें के अनुसंधान अधिकारी पी0ड09 ईश्वरसिंह ने भी स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना के समय पीडिता नाबालिग थी, जिस संबंध में पीडिता की अंक तालिका प्रदर्श पी06 दौराने तफ्तीश प्राप्त की थी एवं इस अंकतालिका प्रदर्श पी06 पर अनुसंधान अधिकारी ने ए से बी अंकतालिका को शामिल पत्रावली किये जाने का पृष्ठांकन होकर एवं सी से डी अपने हस्ताक्षर किये जाने का भी स्पष्ट कथन किया है एवं इसी प्रकार मामलें में पीडिता का पिता एवं मामलें का परिवादी पी0ड03 ओमप्रकाश प्रस्तुत हुआ है, जिसने भी वक्त घटना अपनी पुत्री पीडिता का घटना के समय उम्र 17 वर्ष होने का स्पष्ट कथन किया है एवं ऐसे ही कथन पीडिता के जीजा पी0ड02 भरत शर्मा ने भी अपने बयानों में किये है तथा मामलें में प्रस्तुत चिकित्साधिकारी पी0ड08 डा0 ओ.पी.दायमा जिसने पीडिता का चोट प्रतिवेदन तैयार किया था, उस चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी03 एवं अपने सशपथ कथनों में पीडिता की उम्र 17 वर्ष होने का स्पष्ट कथन किया है। इस प्रकार पत्रावली पर विद्यमान उक्त साक्ष्य से हमारे विनम्र मत में यह तथ्य अभिप्रमाणित होता है कि घटना के समय मामलें की पीडिता करीब 17 वर्ष की होकर अप्राप्तवय(नाबालिग)की होकर बालिका थी। इस संबंध में विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अंकतालिका जारी करने वाले अध्यापक को अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण पीडिता को नाबालिग होना नहीं माना जा सकता है। उक्त तर्क हमारे विनम्र मत में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से जो उपरोक्त विवेचित दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है ,उससे प्रथम तो पीडिता का घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु की होकर नाबालिग होना युक्तियुक्त संदेह से परे अभिप्रमाणित होता है तथा दूसरा यहॉ यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पीडिता की आयु बाबत् जो उपरोक्त विवेचित दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसके खण्डन स्वरूप अभियुक्त की ओर से किसी भी प्रकार की कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है एवं पीडिता की ओर से जो अपने स्कूल की अंकतालिका की मूल प्रति प्रदर्श पी06 प्रस्तुत की गई है, जिस संबंध में अनुसंधान अधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उक्त प्रस्तुत मूल अंकतालिका प्रदर्श पी06 में किसी प्रकार की कोई

कांट–छांट नहीं थी एवं प्रमाणपत्र अपने मूल स्वरूप में था । इस कारण स्कूल के किसी अध्यापक को बतौर साक्षी मामलें में नहीं रखा गया था। हमारे विनम्र मत में उक्त कारण एवं आधार विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है तथा उपरोक्त किये गये विवेचन से हमारे विनम्र मत में यही तथ्य अभिप्रमाणित होता है कि वक्त घटना मामलें की पीडिता पी0ड01 अप्राप्तवय(नाबालिग) की बालिका थी।

21– इसी प्रकार हस्तगत मामलें में मामले की ''पीडिता'' पी0ड01 जो न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ,उसने अपने सशपथ बयानों में इस मामलें में दर्ज कराई गई घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी01 की पुष्टि करते हुए स्पष्ट रूप से कथन किया है कि गंधेर गांव में तारीख 20/05/13 की घटना है। वह उस समय अपनी बहिन ममता के मामा ससुर के यहॉ शादी में गई थी, जहॉ रात को शादी में अनिल नाम के लडके ने गंदे–गंदे ईशारे किये थे ,उसे बुलाने की कोशिश की थी व अभियुक्त अनिल ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी और उसका हाथ पकड कर घर के अन्दर ले जाने की भी कोशिश की थी, जिस पर पीडिता नीचे बैठ गई तो अभियुक्त अनिल ने उसके नाक पर चाकू लगा दिया,जिससे उसके नाक से बहुत सारा खून बहने लगा था,उसका पूरा चेहरा खून में हो गया था। इस पीडिता ने आगे यह भी कथन किया है कि फिर मौके पर बीच–बचाव करने में ममता, भरतलाल, नटवरलाल व ईश्वरलाल आये थे। इस पीडिता ने मामलें की रिपोर्ट 22 तारीख को प्रतापगढ में दर्ज कराना ,अपना चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी03 बनवाना एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान प्रदर्श पी04 लेखबद्व करवाना व मामलें में पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी05 बनाना बताते हुए वक्त घटना नवीं कक्षा में पढना बताया है। यह पीडिता अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में अपने मुख्य परीक्षण के कथनों पर अडिग रही है । अभियुक्त की ओर से सुझाये गये सवालों के जवाब में इस पीडिता ने स्पष्ट रूप से यह जाहिर किया है कि घटना के समय वह डांस नहीं कर रही थी । यह कहना गलत है कि घटना से दो वर्ष पूर्व उसकी सगाई अभियुक्त अनिल के साथ हुई हो व उसकी शादी तय हो गई हो एवं उसके पिता ने अभियुक्त के पिताजी से दो लाख रूपये मांगे हो और उक्त दो लाख रूपये अभियुक्त के पिता द्वारा नहीं देने के कारण उसने यह झूठी कहानी बना कर यह मुकद्मा दर्ज करा दिया हो। आगे इस पीडिता ने अभियुक्त के सुझाव को नकारते हुए स्पष्ट रूप से यह भी जाहिर किया है कि

''यह कहना गलत है कि मैं भी उक्त बिन्दोली में डांस कर रही होऊ और डांस करते–करते बैण्ड बाजे वाले के किसी उपकरण से टकरा कर नीचे गिर गई

होऊ, जिससे मेरे चोट चोट आई हो ।'' पीडिता ने आगे यह भी जाहिर किया है कि चाकू मारने के समय वह खडी थी ,लेकिन चोट लगने के बाद वह नीचे बैठ गई थी व आगे इस पीडिता ने यह भी जाहिर किया है कि यह कहना गलत है कि यह मुकद्मा उसने पैसे लेने के लिये किया हो।

22– इस प्रकार हस्तगत मामलें की इस अहम साक्षिया पीडिता ने स्पष्ट रूप से मामलें में दर्ज कराई गई घटना की रिपोर्ट एवं अभियोजन कहानी की पूर्ण रूप से पुष्टि की है। इस पीडिता ने वक्त घटना मौके पर अपनी बहिन ममता, भरतलाल, नटवरलाल व ईश्वरलाल द्वारा अपना बीच–बचाव करना भी अपने कथनों में उल्लेखित किया है। इस संबंध में पीडिता की बहिन ममता पी0ड06 के रूप में बतौर चश्मदीद साक्षी न्यायालय में उपस्थित हुई है, जिसने स्पष्ट रूप से अपने मुख्य परीक्षण में ही यह कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्त अनिल पीडिता को गंदे–गंदे ईशारे कर रहा था, जिस बाबत् उसकी बहिन पीडिता ने उसे बताया था, थोडी देर बाद अभियुक्त अनिल वहॉ डांस करने लगा था और फिर अपने घर के अन्दर से चाकू लेकर आया और औरतों के बीच में कूद कर पीडिता के उपर चाकू से वार किया था, जिस पर पीडिता बचने के लिए नीचे बैठी थी तो पीडिता के नाक पर चाकू की लगी थी और खून निकलने लग गये थे । इस चश्मदीद साक्षिया ने आगे यह भी कथन किया है कि अभियुक्त अनिल पीडिता को गंदी नजर से अपने घर के अन्दर ले जाना चाहता था और मौके पर इस साक्षिया ने अनिल को पकडने की कोशिश करना और अभियुक्त अनिल का मौके से भाग जाने का भी स्पष्ट कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में भी यह साक्षिया अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों पर अडिग रही है तथा इस चश्मदीद साक्षिया ने अभियुक्त अनिल को पहले से ही जानना जाहिर करते हुए अभियुक्त पक्ष के इस सुझाव को स्पष्ट रूप से नकारते हुए यह जाहिर किया है कि '' यह कहना गलत है कि पीडिता की सगाई अनिल के साथ हुई हो व उसके पिता ने अभियुक्त अनिल के पिता से दो लाख रूपये मांगे हो एवं अनिल के घर वालों ने रूपये देने से मना कर दिया हो , इस कारण उन्होनें यह झूठी रिपोर्ट अभियुक्त अनिल के विरूद्व दर्ज करा दी हो।'' इस साक्षिया ने अपने प्रतिपरीक्षण में घटना के दिन ही अपनी बहिन पीडिता का ईलाज करवाया जाना जाहिर करते हुए अभियुक्त पक्ष के इस सुझाव को स्पष्ट रूप से नकारते हुए यह जाहिर किया है कि'' यह कहना गलत है कि नाचते–नाचते उसकी बहिन बैण्ड बाजे से टकरा गई हो और उसके लग गई हो, बल्कि अनिल ने उसके चाकू मारा था। '' उसने आरोपी को पकडने की कोशिश भी की थी । इस प्रकार मामलें की इस चश्मदीद साक्षिया ने हस्तगत

मामलें में दर्ज कराई गई घटना की रिपोर्ट एवं अभियोजन कहानी की पूर्ण रूप से पुष्टि की है।

23— इसी प्रकार हस्तगत मामलें में बतौर चश्मदीद साक्षी के रूप में पी0ड02 भरत शर्मा पीडिता के जीजाजी व पी0ड07 नटवरलाल प्रस्तुत हुए है, जिन्होनें भी पीडिता के कथनों एवं मामलें में दर्ज कराई गई घटना की रिपोर्ट एवं अभियोजन कहानी की पूर्ण रूप से पुष्टि की है तथा पीडिता के पिता ने अभियुक्त अनिल के पिता से दो लाख रूपयों की मांग करना तथा पीडिता के नाचते हुए बैण्डबाजे के उपकरण पर गिर जाने के कारण उसके चोटें आने के सुझाव को स्पष्ट रूप से नकारा है। घटना का एक और चश्मदीद साक्षी पी0ड05 ईश्वर भी इस मामलें में प्रस्तुत हुआ है, जिसने मौके पर अपनी उपस्थिति बताते हुए हाजिर अदालत अभियुक्त अनिल द्वारा पीडिता के नाक पर चाकू मारना , जिससे पीडिता के नाक पर चीरा लग जाने और खून आ जाने का स्पष्ट कथन किया है एवं हाजिर अदालत अभियुक्त अनिल की स्पष्ट रूप से पहचान इस चश्मदीद साक्षी ने की है ,किन्तु इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया था कि अभियुक्त को उस समय सभी आशिष—आशिष की आवाजे लगा रहे थे, इस कारण वह अभियुक्त को आशिष कह रहा है। इस बिन्दु पर अभियोजन पक्ष की ओर से इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था, किन्तु इस साक्षी ने इस मामलें में पुलिस द्वारा अपने बयान लेखबद्व करना और अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी06 का महत्वपूर्ण तात्विक भाग ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच व के से एल भाग को अपने द्वारा पुलिस को सही—सही लिखाना जाहिर किया है। इस साक्षी ने अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह जाहिर किया है कि यह कहना गलत है कि पीडिता बैण्ड बाजे वाले के उपकरण से टकरा गई हो , जिस कारण उसके चोटें आई हो। इस साक्षी ने यह भी जाहिर किया है कि पीडिता उस समय नाच नहीं रही थी । आगे इस साक्षी ने यह भी जाहिर किया है कि घटना के समय अनिल ने कौनसे कपडे पहन रखे थे,दो साल का समय होने से ध्यान नहीं है व इस साक्षी ने रिपोर्ट लिखाते समय थाने पर जाना भी जाहिर करते हुए यह भी जाहिर किया है कि यह कहना गलत है कि पीडिता के पिता ने अभियुक्त अनिल के पिता से दो लाख रूपये मांगे हो और अभियुक्त के पिता ने दो लाख रूपये देने से मना कर दिया हो, इस कारण यह प्रकरण झूठा दर्ज कराया हो। इस प्रकार इस साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य से भी मामलें में दर्ज कराई गई घटना की रिपोर्ट एवं अभियोजन कहानी की पुष्टि होती है।

24— पीडिता का पिता एवं परिवादी ओमप्रकाश पी0ड03 के रूप में

न्यायालय में बतौर वाकीयाती साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, जिसने भी अपने मुख्य परीक्षण में पीडिता का अपने जमाई के मामा के यहॉ गंधेर गांव में शादी में जाना, जहॉ पर अभियुक्त अनिल द्वारा अपनी लडकी पीडिता के नाक पर चाकू मार देने की बात सुनना व इस संबंध में घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी01 दर्ज कराई जाने का स्पष्ट कथन करते हुए अभियुक्त की ओर से किये गये अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह जाहिर किया है कि उसे घटना की सूचना 20 तारीख को शाम को 8 बजे मिले गई थी, किन्तु शादी का माहोल खराब न हो, इसलिए वह 22 तारीख को गया था और तब उसने प्रतापगढ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस साक्षी ने अपनी लडकी पीडिता का पहले ईलाज प्रतापगढ कराना और उसके बाद उदयपुर ईलाज करवाना जाहिर करते हुए अपनी लडकी ''पीडिता'' का जन्म वर्ष 1996 में होना भी बताया है एवं इस साक्षी ने अभियुक्त की ओर से दिये गये सुझावों को स्पष्ट रूप से नकारते हुए यह जाहिर किया है कि '' यह कहना गलत है कि पीडिता की शादी अनिल से की हो और उसने अनिल के पिता से दो लाख रूपये मांगे हो और अनिल के पिता से पैसे नहीं मिलने के कारण हमने यह झूठा मुकद्मा किया हो।''

25— इस प्रकार हस्तगत मामलें में जो मामलें की पीडिता पी0ड01 एवं घटना के चश्मदीद साक्षीगण पी0ड02 भरत शर्मा, पी0ड06 ममता, पी0ड07 नटवरलाल एवं पी0ड05 ईश्वरलाल प्रस्तुत हुए है, इन सभी ने एक स्वर में मौके पर अभियुक्त अनिल द्वारा घटनास्थल स्थान जहॉ शादी सम्पादित हो रही थी , वहॉ पर आकर नाबालिग पीडिता को गंदे–गंदे ईशारे करना और पीडिता को बुलाने की कोशिश करना एवं पीडिता के साथ गलत हरकत करते हुए ,उसका हाथ पकड कर घर के अन्दर ले जाने की कोशिश करना एवं पीडिता द्वारा अभियुक्त का विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा चाकू से पीडिता के नाक पर चोट कारित करने का स्पष्ट कथन किया है। मामलें की पीडिता के नाक पर अभियुक्त द्वारा जो चोट कारित की गई उक्त चोट की प्रकृति को अभिप्रमाणित करने के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से हस्तगत मामलें में चिकित्साधिकारी डा0 ओ0पी0दायमा को पी0ड08 के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके कथन एवं चिकित्सकीय साक्ष्य का गहनता से परिशीलन किया जाना यहॉ महत्वपूर्ण एवं सुसंगत हो जाता है। इस प्रस्तुत चिकित्साधिकारी पी0ड08 डा0 ओ.पी.दायमा ने मामलें की पीडिता उम्र 17 वर्ष के शरीर पर आई चोटों का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी03 बनाना एवं पीडिता के नाक पर एक चोट कटा हुआ घाव 4.2 गुना 3 से.मी. चमडी से लेकर मांस पेशी तक गहरी होकर चेहरे की विकृति होने के कारण उक्त चोट को

गम्भीर चोट होकर धारदार हथियार से कारित की गई होना एवं चोटों की अवधि दो से तीन दिन के भीतर की होने का कथन इस चिकित्सकीय साक्षी ने किया है तथा अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह जाहिर किया है कि पीडिता के चेहरे पर विकृति आने के कारण एवं उक्त चोट का नाक पर लगी होने के कारण उसने उक्त चोट को गम्भीर बताया था। इस चिकित्सक साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि पीडिता आराम से सांस ले रही थी व उक्त चोट ईलाज से 7–8 दिन में ठीक हो सकती है। इस प्रकार इस मामलें के चिकित्सक साक्षी ने स्पष्ट रूप से अपने बयानों में यह उल्लेख किया है कि मामले ंकी पीडिता के नाक पर जो धारदार हथियार से कटा हुआ घाव मौजूद था, जिससे पीडिता के चेहरे पर विकृति आने के कारण ही इस चोट को गम्भीर बताया था। इस चिकित्सक साक्षी ने आगे यह भी जाहिर किया है कि पीडिता के आई उक्त चोट प्राणघातक नहीं थी एवं परीक्षण के समय पीडिता आराम से सांस ले रही थी एवं चोट नाक पर लगी होने के कारण ही चिकित्सक साक्षी ने इस चोट को गम्भीर होना बताया था व साथ ही इस चिकित्सक साक्षी ने आगे यह भी जाहिर किया है कि उक्त चोट ईलाज से 7–8 दिन में ठीक हो सकती है। इस प्रकार इस चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य का पूर्ण रूप से विवेचन एवं मूल्यांकन किया जावे तो यह तथ्य अभिप्रमाणित होता है कि इस चिकित्सक साक्षी ने पीडिता के मात्र धारदार हथियार से नाक पर चोट आने के कारण ही उसे गम्भीर चोट होना बताया था एवं चिकित्सक के कथनानुसार उक्त चोट प्राणघातक भी नहीं थी ,उक्त चोट 7–8 दिन में ईलाज से पूर्ण रूप से ठीक हो सकने योग्य थी। इस संबंध में मामलें की पीडिता पी0ड01 जो न्यायालय में प्रस्तुत हुई है उससे किये गये प्रतिपरीक्षण में पीडिता ने नाक पर उक्त चोट का निशान मौजूद होना न्यायालय में वक्त बयान जाहिर किया था,किन्तु न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से पीडिता की नाक की उक्त चोट का अवलोकन करने के पश्चात् यह टिप्पणी की है कि **'' देखने से सामान्य तौर पर चोट का निशान नजर नहीं आ रहा है।''** ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में यह तथ्य अभिप्रमाणित होता है कि पीडिता के चेहरे में स्थायी रूप से कोई विद्रूपीकरण नहीं हुआ था यहॉ तक कि पीडिता के नाक पर चोट का कोई जाहिरा निशान भी नजर नहीं आ रहा था एवं स्वयं चिकित्सक साक्षी पी0ड08 डाक्टर ओ0पी0 दायमा ने भी पीडिता के नाक पर आई उक्त चोट को पीडिता के चेहरे का स्थायी रूप से विद्रूपीकरण कर दिया जाने वाली चोट नहीं माना है एवं न ही उक्त चोट को प्राणघातक माना है एवं उक्त चिकित्सक साक्षी ने भी स्पष्ट रूप से अपने प्रतिपरीक्षण में जाहिर किया है कि ईलाज होने पर

उक्त चोट मात्र 7—8 दिन में ठीक हो सकती है एवं इसी अनुक्रम में न्यायालय के समक्ष जब पीडिता बयान देने के लिए उपस्थित आई तब पीडिता के नाक पर किसी प्रकार की कोई जाहिरा चोट नजर नहीं आ रही थी एवं ना ही नाक पर कोई चोट के निशान ही नजर आ रहे थे ,जिस संबंध में न्यायालय द्वारा पीडिता के बयानों के दौरान टिप्पणी भी की गई है, इसके अतिरिक्त यहॉ यह उल्लेखित करना भी समीचीन होगा कि मामलें में प्रस्तुत अहम साक्षी अनुसंधान अधिकारी पी0ड09 ईश्वरसिंह ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पीडिता के नाक का कोई भाग अलग नहीं हुआ था मात्र जाहिराना चोट थी । उसने पीडिता को कोई एक्सरे भी नहीं कराया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से हमारे विनम्र मत में यह तथ्य अवश्य प्रमाणित होता है कि अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार चाकू से पीडिता के नाक पर चोट कारित की गई , किन्तु उक्त चोट किसी भी प्रकार से धारा 320 भा0दं0सं0 के तहत **''घौर उपहति''** की श्रेणी में आकर पीडिता के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपीकरण किये जाने वाली चोट नहीं थी। फलतः साक्ष्य के उपरोक्त विवेचनानुसार पीडिता के नाक पर आई उक्त चोट धारा 326 भा0दं0सं0 की परीधि में आने वाली गम्भीर चोट नहीं होकर उक्त अपराध के बजाय लघुत्तर श्रेणी में आने वाला अपराध अन्तर्गत धारा 324 भा0दं0सं0 की श्रेणी में आने वाली साधारण चोट होना ही अभिप्रमाणित होता है। जिसके लिये द.प्र.सं. की धारा 222 के विधिक प्रावधानों के अनुसार पृथक से आरोप विरचित किये जाने की आवश्यकता एवं बाध्यता नहीं है। इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में विद्यमान एवं विवेचित की गयी समग्र साक्ष्य के विश्लेषणानुसार युक्तियुक्त संदेह से परे यह आरोप अभिप्रमाणित नहीं होता है कि मामलें की नाबालिग पीडिता के साथ अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार से धारा—6 लैगिंक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम के तहत गुरूत्तर प्रवेशन लैगिंक हमला अथवा धारा —4 लैगिंक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम के तहत प्रवेशन लैगिंक हमले का अपराध कारित किया गया किन्तु अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह अभिप्रमाणित करने में सफल रहा है किअभियुक्त ने पीडिता का सदोष अवरोध कर पीडिता का जबरन हाथ पकड कर लैगिंक आशय से पीडिता से शारीरिक सम्पर्क कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए पीडिता को घर के अन्दर ले जाने का प्रयास कर लैगिंक उत्पीडन करते हुए अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ चाकू जैसे खतरनाक आयुध द्वारा पीडिता की नाक पर स्वैच्छया वार कर उसके साधारण उपहति कारित की, जिसके लिये अभियुक्त भा0दं0सं0 की धारा 341 व 324 के अतिरिक्त भा0दं0सं0 की धारा 354(क)(2) एवं लैगिंक अपराधों से बालकों का

सरंक्षण अधिनियम की धारा–12 के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य हो जाता है। यहाँ यह उल्लेखित किया जाना समीचीन होगा कि अभियुक्त के विरूद्ध जो धारा–12 लैगिंक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम का अपराध अभिप्रमाणित हुआ है वह अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा–6 का ही लघुत्तर रूप है, जिसके लिये विधिनुसार पृथक से आरोप विरिचित किये जाने की आवश्यकता एवं बाध्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है उनमें प्रतिपादित सिद्वांत तथ्यात्मक भिन्नता के कारण हमारे विनम्र मत में चस्पा नहीं होते है।

26– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह भी तर्क रहा है कि हस्तगत मामलें में घटना की रिपोर्ट दो दिन विलम्ब से दर्ज कराई गई एवं मामलें में कथित चाकू बरामदगी के गवाह एवं स्वतंत्र गवाहान को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही चाकू न्यायालय में पेश किया है तथा गवाहान के कथनों में भारी विरोधाभास है, जिससे अभियोजन का यह मामला संदेहास्पद हो जाता है। किन्तु इस संबंधमें हमारे विनम्र मत में मामलें के परिवादी एवं पीडिता के पिता पी0ड03 ओमप्रकाश ने स्पष्ट रूप से अपने बयानों में यह कथन किया है कि घर में घटना के समय शादी का माहौल होने से घटना की रिपोर्ट दो दिन पश्चात् दर्ज कराई थी। उक्त कारण एवं स्पष्टीकरण हमारे विनम्र मत में विधि सम्मत प्रतीत होता है तथा इस मामलें में मामलें के अनुसंधान अधिकारी पी0ड09 ईश्वरसिंह ने चाकू की बरामदगी एवं उसकी जब्ती की फर्द को अपने सशपथ कथनों में साबित किया है एवं अनुसंधान अधिकारी के कथनों का कोई खण्डन भी अभियुक्त की ओर से नहीं हुआ है तथा मामलें में घटना के जो चश्मदीद साक्षीगण प्रस्तुत हुए है, उन्होनें एक स्वर में अभियुक्त द्वारा चाकू से पीडिता की नाक पर चोट कारित किये जाने का स्पष्ट कथन किया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त की ओर से जो उक्त तर्क प्रस्तुत किये गये है वे निराधार हो जाते है एवं हमारे विनम्र मत में प्रस्तुत किये गये उक्त तर्को से अभियोजन का उक्त मामला किसी भी तरह से फेटल नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि मामलें में जो गवाहान प्रस्तुत हुए है,उनके कथनों में मामुलीसा विरोधाभास अवश्य है, लैकिन जहाँ गवाहान दूर दराज के ग्रामीण परिवेश के हो तथा घटना के काफी समय पश्चात् न्यायालय में उनके कथन लेखबद्ध किये जावे तब गवाहान की साक्ष्य में मामुलीसा विरोधाभास होना प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है तथा गवाहान की साक्ष्य में आये मामूली से विरोधाभास होने मात्र से हमारे

विनम्र मत में गवाहान की सम्पूर्ण साक्ष्य को कतई अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हस्तगत मामलें में अभियोजन पक्ष की ओर से बचाव साक्षी के रूप में डी0ड01 श्यामलाल को प्रस्तुत किया गया, जिसने भी अपने प्रति परीक्षण में यह जाहिर किया है कि लोग कह रहे थे कि पीडिता गिर गई थी, इस कारण पीडिता की नाक पर चोट आई है , किन्तु इस साक्षी के कथन अपने आप में विश्वसनीय नहीं रह जाते है, क्योंकि किन लोगों ने इस साक्षी को पीडिता का मौके पर गिर जाने से चोट आना बताया है, उसका कोई नाम पता इस साक्षी ने अपने बयान में नहीं बताया है एवं न ही इस साक्षी की मौके पर कथित उपस्थिति के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये गवाहान से कोई प्रश्न ही पूछा और न ही ऐसा कोई सुझाव ही अभियुक्त की ओर से दिया गया है, जिससे भी इस बचाव साक्षी के कथनों से अभियुक्त को किसी प्रकार का कोई बल नहीं मिलता है।

27— इस प्रकार पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य के समग्र विवेचन एवं विश्लेषण से युक्तियुक्त संदेह से परे हमारे विनम्र मत में यही तथ्य अभिप्रमाणित होता है कि मामलें में अभियुक्त अनिल द्वारा प्रकरण की पीडिता पी0ड01 जो वक्त घटना नाबालिग होकर बालिका थी का सदोष अवरोध कर पीडिता को अश्लील ईशारे करते हुए पीडिता का जबरन हाथ पकड कर लैगिंक आशय से पीडिता से शारीरिक सम्पर्क कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए पीडिता को घर के अन्दर ले जाने का प्रयास कर लैगिंक उत्पीडन करते हुए अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ चाकू जैसे खतरनाक आयुध द्वारा पीडिता की नाक पर स्वैच्छया वार कर उसके साधारण उपहति कारित की गई, ऐसी स्थिति में अभियुक्त अनिल अपराध अन्तर्गत धारा 341,354(क)(2) एवं धारा— 12 लैगिंक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम तथा धारा 324 भा0दं0स0 के तहत दोषसिद्व किये जाने योग्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहॉ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 4 एवं 6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 326 भा0दं0सं0 के सम्बन्ध में युक्तियुक्त संदेह से परे कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं होने से अभियुक्त धारा 4 एवं 6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 326 भा0दं0सं0 के तहत दोषमुक्त किये जाने योग्य हो जाता है। फलतः आदेश—

:: आदेश ::

28— अतः अभियुक्त अनिल पुत्र बंशीलाल जाति शर्मा निवासी गंधेर थाना प्रतापगढ जिला प्रतापगढ़ (राज0)को धारा—354(क) (2) भा0दं0सं0 एवं

धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा धारा 341 एवं 324 भा.द.सं. के अपराधों में दोषसिद्व घोषित किया जाता है तथा अभियुक्त अनिल को उसके विरूद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–4 एवं 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं अपराध धारा 326 भा0दं0सं0 के तहत दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(पी.एस.चौहान)

:: <u>दण्ड के प्रश्न पर</u> ::

29– दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियुक्त 25–26 वर्षीय नवयुवक है ,उसका यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्वि नहीं है और प्रकरण में 2013 से लगातार अंवीक्षा भुगत रहा है। अतः उसके प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया जावें। जबकि उक्त तर्को का विरोध करते हुए विद्वान् विशिष्ठ लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियुक्त के विरूद्व नाबालिग पीडिता का सदोष अवरोध कर उसका लैगिंक उत्पीडन करते हुए धारदार हथियार (चाकू) से वार कर स्वेच्छया उपहति कारित करने का गम्भीर आरोप प्रमाणित हुआ है । अतः अभियुक्त को कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जावें।

30– हमने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया । हस्तगत मामलें में अभियुक्त के विरूद्व मामलें की नाबालिग पीडिता का सदोष अवरोध कर उसके साथ लैगिंक उत्पीडन का अपराध कारित कर चाकू जैसे खतरनाक आयुध से पीडिता की नाक पर स्वैच्छया जो चोट कारित की गई है, ऐसा कृत्य हमारे विनम्र मत में गम्भीर अपराध है तथा ऐसे अपराध में परिवीक्षा का लाभ दिया गया तो समाज में ऐसे अपराध में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी तथा समाज में बालिकाएं सर्वथा असुरक्षित हो जावेगी, जो हमारे विनम्र मत में कदापि न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है, ऐसी स्थिति में मामलें के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को उसके विरूद्व साबित अपराध में परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

31– यहॉ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि अभियुक्त अनिल को हस्तगत मामलें में एक ही कृत्य **लैगिंक उत्पीडन** के साबित अपराध हेतु धारा 354(क)(2) भा0दं0सं0 एवं धारा 12 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषसिद्व किया गया है। किन्तु लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 की धारा 42 के आनुकल्पिक दण्ड के प्रावधानानुसार धारा 354 (क) (2) भा0दं0सं0 की तुलना में धारा 12 लैगिंक अपराधों से बालकों

का संरक्षण अधिनियम के तहत गुरूत्तर मात्रा में दण्ड के प्रावधान होने से अभियुक्त को उसके विरूद्व साबित अपराध धारा 354 (क) (2) भा0दं0सं0 में दण्ड नहीं दिया जाकर अभियुक्त को उसके विरूद्व साबित अपराध धारा 12 लैगिंक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम के तहत ही दण्डित किया जा रहा है। इस प्रकार मामलें के अभियुक्त अनिल को उसके विरूद्व साबित अपराध धारा 341,324 भा0दं0सं0 व धारा 12 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलतः दण्डादेश–

:: दण्डादेश ::

32– अभियुक्त अनिल पुत्र बंशीलाल जाति शर्मा निवासी गंधेर थाना प्रतापगढ जिला प्रतापगढ़ (राज0)को धारा–12 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 341,324 भा0दं0सं0 के अपराधों में दोषसिद्वि उपरांत अभियुक्त अनिल को उसके विरूद्व प्रमाणित अपराध धारा– 341 भा0दं0सं0 के अपराध हेतु एक माह के साधारण कारावास एवं दौ सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को दो दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावें।

अभियुक्त अनिल को उसके विरूद्व प्रमाणित अपराध धारा 324 भा0दं0सं0 के अपराध हेतु दो वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावें।

अभियुक्त अनिल को उसके विरूद्व प्रमाणित अपराध धारा 12 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध हेतु दो वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावें।

अभियुक्त का उपरोक्तानुसार सजा वारंट बनाया जावें। अभियुक्त अनिल को दी गई सभी मूल सजाएं साथ–साथ चलेगी और प्रकरण के अनुसंधान व विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा व्यतीत की गई पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा की अवधि उसकी मूल सजा में नियमानुसार समायोजित की जावें।

उक्त सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि वसूल होने की सूरत में मामलें की पीडिता को सम्पूर्ण राशि अदा की जावें।

प्रकरण में जब्तशुदा चाकू आदि को बाद गुजरने मियाद अपील/ रिवीजन नियमानुसार नष्ट किया जावें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ को उपरोक्त पीडिता को पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत पर्याप्त प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंषा की जाती है। निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

अभियुक्त को निर्णय व दण्डादेश की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावें।

(पी.एस.चौहान)

33– निर्णय आज दिनांक 11/01/2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया व मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

(पी.एस.चौहान)